न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः— 25-3-26

<u>अपील संख्या 186 / 2024</u>
(जीसीएमएस संख्या 2024 / 246)

1. बीरबलराम पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी कागड़ तहसील रतनगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 23—07—2009
ए.सी.सी. छतरगढ़ मुकान बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री राधाकिशन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छरतगढ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 23—07—2007 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी छतरगढ मुकाम बीकानेर के समक्ष विशेष आवंटन में भूमि आवंटन करवाने हेतु चक 23 बी.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 68/02 तादादी 24.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि बाबत वर्ष 2007 में आवेदन प्रस्तुत किया था। अपीलांट द्वारा आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मुकाम बीकानेर ने आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11.08.2008 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, सबूतों के आधार पर अपीलान्ट की प्रथम वरियता मानते हुवे उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के नाम विशेष आवंटन के तहत आवंटन की है। अपीलान्ट को भूमि आवंटन करने की सूचना अथवा कोई नोटिस श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मुकाम बीकानेर ने नहीं दिया, जिससे अपीलान्ट अपनी आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि खजाना राज जमा नहीं करवा सका। जिस पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मुकाम बीकानेर ने दिनांक 23.07.2009 को अपीलान्ट का आवंटन 20 प्रतिशत राशि के अभाव में निरस्त कर दिया। अपीलान्ट का आवंटन निरस्त करने से पूर्व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मुकाम बीकानेर ने अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, जिससे अपीलान्ट को आवंटन की जानकारी नहीं हो सकी। कानूनन किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवेदन पत्र 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाने के कारण खारिज किया गया है। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नही दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन 20 प्रतिशत राशि के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 23 बी.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 68/02 तादादी 24.05 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 11–08–2008 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट को चक 23 बी.एम.एम. के मुरब्बा नम्बर 68/02 में 4 बीघा 5 बिस्वा कमाण्ड व 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवटित किये जाने हेतु आवंटन आदेश जारी होने के आदेश प्रदान किये गये थे। परन्तु दिनांक 23–07–2009 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में यह कहते हुए अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की 20 प्रतिशत राशि जमा नही करवाई है। अतः प्रार्थी की आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या 4811/2014 निर्णय दिनांक 05–01–2026**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उनवान साहबराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि " विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नही है तथा ऐसे विधि विरूद्ध आदेश का समर्थन करने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।" माननीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया गया था।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण में पुर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर